

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
अधिसूचना

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 (खण्ड-01) श्र०सं०...../बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	अतिरिक्त प्रभार (पदनाम एवं कार्यालय)
1	2	3	4
1	श्री निखिल कुमार रंजन	श्रम अधीक्षक-योजना-सह-बोर्ड, उप श्रमायुक्त कार्यालय, भागलपुर	श्रम अधीक्षक, अधिनियम, उप श्रमायुक्त कार्यालय, भागलपुर
2	श्री संजय कुमार चौधरी	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-55/2024 (खण्ड-01) श्र०सं०.....02/पटना-01, दिनांक- 22/5/26
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी /उप श्रमायुक्त, भागलपुर/अधिसूचना में अंकित पदाधिकारी एवं आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।